न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 225/2018 दायर दिनाँक 30.06.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. निर्मलादेवी पत्नी रामनिवास, जाति–मेघवाल, निवासी–रेलवे स्टेशन के पास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. भोलू पुत्र गुलाराम, उम्र–72साल, जाति–मेघवाल, निवासी–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. पक्षकारान्।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 30.06.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद पाटन में खसरा नम्बर 59 रकबा 16.17 बीघा व खसरा नम्बर 61 रकबा 03.14 बीघा व खसरा नम्बर 94 रकबा 07.06 बीघा व खसरा नम्बर 96 रकबा 04.14 बीघा व खसरा नम्बर 97 रकबा 07.16 बीघा व खसरा नम्बर 98 रकबा 12.00 बीघा व खसरा नम्बर 106 रकबा 10.15 बीघा तथा खसरा नम्बर 107 रकबा 0.08 बीघा कुल रकबा 63.10 बीघा भूमि अवस्थित थी जिसमें से भोलू व पुंरखा पिसरान् गुलाराम के हिस्से की रकबा 43.10 बीघा भूमि थी।

भोलू व पुरखा पिसरान् गुलाराम ने इस भूमि में से दिनाँक 10.03.2015 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 410 पृष्ठ 48 क्रम संख्या 201500058 के जरिये वादी को रकबा 06.00 बीघा बैचाण कर दी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 225/2018
दायर दिनाँक 30.06.2018, निर्णय दिनाँक 30.06.2018
निर्मलादेवी बनाम् भोलू, वगैरा।

वादी ने उक्त पंजीकृत बैचाण का सहवन से नामान्तरकरण दर्ज नहीं करवाया जबकि खसरा नम्बर 97 रकबा 07.16 बीघा भूमि में से रकबा 06.00 बीघा उत्तरी भाग पर वादी का ही उक्त क्रयशुदा मुतनाजा पर कब्जाकाश्त दिनाँक क्रय से ही है। सहखातेदारान् ने दिनाँक 15.07.2015 को उक्त वर्णित पंजीकृत बैचाण का ध्यान रखे बिना ही आपसी सहमति से बन्टवारा करा लिया जबकि उक्त भूमि रकबा 06.00 बीघा की खातेदारी वादी के नाम से दर्ज की जाकर शेष भूमि का पक्षकारान् के मध्य बन्टवारा किया जाना था, इससे खसरा नम्बर 97 रकबा 07.16 बीघा जिस पर वादी का कब्जाकाश्त था, प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में चली गयी जो कि गलत है।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद पाटन के खसरा नम्बर 97 रकबा 07.16 बीघा में से रकबा 06.00 बीघा भूमि उत्तरी भाग की खातेदारी वादी के हक में घोषित की जावे तथा खसरे की शेष भूमि रकबा 01.16 बीघा बदस्तूर रखी जावे। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना में पत्रावली पेश हुई। वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान् को सुना गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ने वाद में राजीनामा पेश कर दिया है। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजीनामा के मुताबिक, शरहद पाटन के खसरा नम्बर 97 रकबा 07.16 बीघा में से रकबा 06.00 बीघा भूमि उत्तरी भाग की खातेदारी वादी के हक में घोषित की जावे तथा खसरे की शेष भूमि रकबा 01.16 बीघा बदस्तूर रखी जावे।

वादी निवेदन कर रहे हैं कि, शरहद पाटन के खसरा नम्बर 97 रकबा 07.16 बीघा में से रकबा 06.00 बीघा भूमि उत्तरी भाग की खातेदारी वादी के हक में घोषित की जावे तथा खसरे की शेष भूमि रकबा 01.16 बीघा बदस्तूर रखी जावे। प्रतिवादी संख्या 01 ने अपनी ओर से इसकी सहमति दी व ताइद की है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पक्षकारान् की इस्तदुआ पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वादी ने वाद के समर्थन में, नक्शा ट्रेश, जमाबन्दी ग्राम पाटन सम्वत् 2069–2072 खेवट संख्या 64/56 की प्रमाणित प्रतिलिपि व जमाबन्दी ग्राम पाटन सम्वत् 2073–2076 खेवट संख्या 83/64 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकनोपारान्त व मिसल पर सबूत व साक्ष्यों के मद्दे नजर शरहद पाटन के खसरा नम्बर 97 रकबा 07.16 बीघा में से रकबा 06.00 बीघा भूमि उत्तरी भाग की खातेदारी वादी के हक में घोषित जाना, अज अदालत के मतानुसार न्यायसंगत है।

अतः, बाद विवेचन, वादी के पक्ष में, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 225/2018
दायर दिनाँक 30.06.2018, निर्णय दिनाँक 30.06.2018
निर्मलादेवी बनाम् भोलू, वगैरा।

आदेश

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद पाटन में खसरा नम्बर 97 रकबा 07.16 बीघा भूमि का ''बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स'' के बन्टवारा कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, रकबा 06.00 बीघा भूमि उत्तरी भाग का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष रकबा 01.16 बीघा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से बदस्तूर जारी रहेगी।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की आदेश वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 30.06.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **225/2018** दायर दिनाँक **30.06.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. निर्मलादेवी पत्नी रामनिवास, जाति–मेघवाल, निवासी–रेलवे स्टेशन के पास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भोलू पुत्र गुलाराम, उम्र–72साल, जाति–मेघवाल, निवासी–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **30.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित पक्षकारान्** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद पाटन में खसरा नम्बर 97 रकबा 07.16 बीघा भूमि का "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बन्टवारा कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, रकबा 06.00 बीघा भूमि उत्तरी भांग का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष रकबा 01.16 बीघा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से बदस्तूर जारी रहेगी।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की आदेश वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत.......... ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.06.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प—डीडवाना